प्रारंभिक परीक्षा

महानदी विवाद

संदर्भ

महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण (एमडब्ल्यूडीटी) ने ओडिशा और छत्तीसगढ़ को अंतिम चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि वे आपसी जल बंटवारे पर सहमति बनाएं या योग्यता के आधार पर फैसले का सामना करें।

महानदी नदी के बारे में

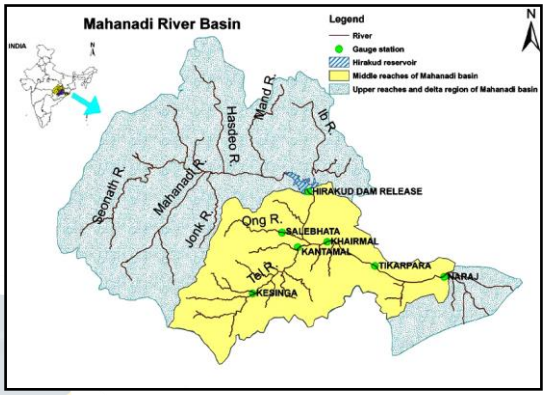

- **उत्पत्ति एवं मार्ग:** यह **छत्तीसगढ़ के सिहावा पर्वत श्रृंखला (बस्तर का पठार) से निकलती है** और ओडिशा में एक विशाल डेल्टा के माध्यम से बंगाल की खाड़ी तक **851 किमी** का सफर तय करती है।
- **सहायक नदियाँ:** इसे **शिवनाथ, हसदेव, मांड और ईब** (बाएं तट) तथा **ओंग, तेल और जोंक** (दाएं तट) द्वारा पोषित किया जाता है।
- **हीराकुंड बाँध:** संबलपुर के पास स्थित, यह विश्व के सबसे लंबे मिट्टी के बांधों में से एक है, जो सिंचाई, बिजली और बाढ़ नियंत्रण में सहायता करता है।
- **डेल्टा:** यह डेल्टा **भितरकनिका मैंग्रोव और चिल्का झील** सहित महत्वपूर्ण जैव विविधता क्षेत्रों को सहारा देता है।
- **मुख्य विवाद:** तनाव छत्तीसगढ़ के **500+ ऊपरी प्रवाह वाले बैराजों** से उत्पन्न होता है; ओडिशा का दावा है कि ये संरचनाएं गैर-मानसून प्रवाह को कम करती हैं, जिससे निचले प्रवाह वाली कृषि और हीराकुंड जलाशय के लिए खतरा पैदा होता है।

अंतरराज्यीय जल विवाद न्यायाधिकरणों के बारे में

- **अनुच्छेद 262 (संविधानिक आधार):** संसद को अंतरराज्यीय नदियों के विवादों के अधिनिर्णयन और इन मामलों में उच्चतम न्यायालय तथा अन्य न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को बाहर करने का अधिकार देता है।
- **IRWD अधिनियम, 1956:** केंद्र को न्यायाधिकरण स्थापित करने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है, जब किसी राज्य द्वारा अनुरोध किया जाता है और बातचीत विफल हो जाती है।
- **न्यायाधिकरण की संरचना:** इसमें आमतौर पर एक अध्यक्ष और दो सदस्य शामिल होते हैं, जिन्हें भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में से नामित किया जाता है।
- **बाध्यकारी शक्ति:** एक बार आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद, न्यायाधिकरण के निर्णय में उच्चतम न्यायालय की डिक्री के समान कानूनी शक्ति होती है।

शेखा झील पक्षी अभयारण्य

संदर्भ

शेखा झील पक्षी अभयारण्य को **भारत का 99वाँ रामसर स्थल घोषित** किया गया है।

सेखा झील पक्षी अभयारण्य के बारे में

- **स्थान:** अलीगढ़, उत्तर प्रदेश।
- **प्रकार:** मीठे पानी की बारहमासी आर्द्रभूमि/झील, जो **ऊपरी गंगा नहर** प्रणाली से जुड़ी है।
- **महत्व:** प्रवासी पक्षियों (जैसे- बार-हेडेड गूज, पेंटेड स्टॉर्क) के लिए एक महत्वपूर्ण विश्राम स्थल के रूप में कार्य करती है और भूजल पुनर्भरण में सहायता करती है।

रामसर सम्मेलन

- **उत्पत्ति:** 1971 में ईरान के रामसर शहर में हस्ताक्षरित एक अंतरराष्ट्रीय संधि; यह 1975 में लागू हुई।
- **उद्देश्य**: स्थानीय और राष्ट्रीय कार्यों और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से आर्द्रभूमि के संरक्षण और "बुद्धिमान उपयोग" को बढ़ावा देना।
- **वैश्विक पहुंच:** 2026 तक, इसमें 172 अनुबंधित पक्ष शामिल हैं (जिनमें भारत भी शामिल है, जिसने 1982 में इसकी पुष्टि की थी) और यह विश्व स्तर पर 2,500 से अधिक स्थलों की रक्षा करता है।

रामसर स्थल

- **"रामसर स्थल" एक आर्द्रभूमि है जिसे विशिष्ट पारिस्थितिक और जैविक मानदंडों के आधार पर अंतरराष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है।**
    - **जैव विविधता समर्थन:** इस स्थल को संकटग्रस्त, लुप्तप्राय या गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों या संकटग्रस्त पारिस्थितिक समुदायों का समर्थन करना चाहिए।
    - **जलपक्षी मात्रात्मक मानदंड:** आर्द्रभूमि को नियमित रूप से 20,000 या अधिक जलपक्षियों का समर्थन करना चाहिए, या जलपक्षी की एक प्रजाति/उपप्रजाति की आबादी के 1% व्यक्तियों का समर्थन करना चाहिए।
    - **मछली और गैर-पक्षी प्रजातियाँ:** मानदंडों में स्वदेशी मछली प्रजातियों के एक महत्वपूर्ण अनुपात या आर्द्रभूमि पर निर्भर गैर-पक्षी पशु प्रजातियों की आबादी के 1% का समर्थन करना भी शामिल है।

जैन विरासत संग्रहालय

संदर्भ

अहमदाबाद, गुजरात में नवनिर्मित **जैन विरासत संग्रहालय** का उद्घाटन किया गया है, जो **श्रमण परंपरा** के लिए एक कोष (संग्रह) के रूप में कार्य करता है।

जैन धर्म की मुख्य परंपराएं और व्यक्तित्व

- **श्रमण परंपरा:** एक गैर-वैदिक, प्राचीन भारतीय धार्मिक आंदोलन जो वैदिक धर्म के समानांतर संचालित होता था। यह आत्म-निर्भरता, तपस्या और कर्मकांडों के बजाय व्यक्तिगत प्रयास के माध्यम से मुक्ति की प्राप्ति पर बल देता है।
- **तीर्थंकर:** इसका अर्थ है "तीर्थ-निर्माता" (Ford-makers), ये जैन धर्म के **24 सर्वोच्च शिक्षक** हैं जिन्होंने जन्म और मृत्यु के चक्र पर विजय प्राप्त की है।
    - **ऋषभनाथ:** प्रथम तीर्थंकर (प्रतीक: **बैल**)।
    - **महावीर:** वर्तमान युग के 24वें और अंतिम तीर्थंकर (प्रतीक: **सिंह**)।
- **केवल ज्ञान:** पूर्ण ज्ञान या सर्वज्ञता की अवस्था। यह धारणा का उच्चतम रूप है, जहाँ आत्मा सभी कर्मिक बाधाओं से मुक्त हो जाती है।
- **अहिंसा:** जैन धर्म का आधारभूत नैतिक सिद्धांत, जिसमें मन, वचन या कर्म से किसी भी जीवित प्राणी (मनुष्य, पशु, कीट या सूक्ष्मजीव) को नुकसान पहुँचाने से पूर्णतः बचना शामिल है।

कला, प्रतिमा विज्ञान और साहित्य

- **प्रतिमा (Iconography):** तीर्थंकर का भौतिक प्रतिनिधित्व। जैन कला में, उन्हें दो प्राथमिक मुद्राओं में चित्रित किया गया है:
    - **कायोत्सर्ग:** एक खड़ी ध्यान मुद्रा ("शरीर का त्याग करना")।
    - **पद्मासन:** बैठी हुई कमल मुद्रा।
- **लांचन:** तीर्थंकरों की मूर्ति के आधार पर उकेरे गए विशिष्ट प्रतीक जो उनकी पहचान में सहायक होते हैं (उदाहरण के लिए, पार्श्वनाथ के लिए सर्प)।

- **अयागपट्ट:** प्राचीन "मन्नत की गोलियां" या पूजा के लिए उपयोग किए जाने वाले सजावटी शिलाखंड। ये मथुरा कला शैली में सामान्य थे और अक्सर धर्मचक्र या **अष्टमंगल** (आठ शुभ प्रतीक) को चित्रित करते थे।
- **कल्प सूत्र और भगवती सूत्र:**
    - **कल्प सूत्र:** तीर्थंकरों की जीवनियों का विवरण देने वाला एक पवित्र ग्रंथ।
    - **भगवती सूत्र:** सबसे महत्वपूर्ण आगमों (कैनोनिकल ग्रंथ) में से एक, जो दार्शनिक प्रश्नों और ऐतिहासिक अभिलेखों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करता है।

आध्यात्मिक और नैतिक ढांचे

- **अनेकांतवाद:** "गैर-पूर्णतावाद" या "बहु-पक्षीयता" का सिद्धांत। यह सुझाव देता है कि सत्य और वास्तविकता जटिल हैं और उनके कई पहलू हैं; कोई भी एक दृष्टिकोण संपूर्ण सत्य को नहीं पकड़ सकता।
- **स्याद्वाद:** "सापेक्ष कथन" (conditional predication) का तर्क। यह विशेषक **"स्यात्"** (शायद/संभवतः) का उपयोग करके अनेकांतवाद का पूरक है, जो यह दर्शाता है कि प्रत्येक कथन केवल एक निश्चित परिप्रेक्ष्य से ही सत्य है।
- **पंच महाव्रत:** आध्यात्मिक मुक्ति के लिए आवश्यक पांच "महान व्रत":
    1. **अहिंसा:** अहिंसा।
    2. **सत्य:** सत्यवादिता।
    3. **अस्तेय:** चोरी न करना।
    4. **ब्रह्मचर्य:** पवित्रता/इंद्रिय संयम।
    5. **अपरिग्रह:** अनासक्ति/अपरिग्रह।

क्षेत्रीय संप्रदाय और स्थल

- **दिगंबर (नग्न) और श्वेतांबर (श्वेत वस्त्रधारी)।**
- **पालिताणा और गिरनार:**
    - **पालिताणा (शत्रुंजय पहाड़ी):** श्वेतांबरों के लिए सबसे पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है, जिसमें 800 से अधिक संगमरमर के मंदिर हैं।
    - **गिरनार:** दोनों संप्रदायों के लिए पवित्र, विशेष रूप से 22वें तीर्थंकर, **नेमिनाथ** से संबंधित।

मुख्य परीक्षा

जैव प्रौद्योगिकी(BIOTECHNOLOGY) की असमान स्वीकार्यता

संदर्भ

- जैव प्रौद्योगिकी स्वास्थ्य देखभाल, कृषि और उद्योग जैसे क्षेत्रों को तेजी से बदल रही है, फिर भी समाजों में इसकी स्वीकार्यता असमान है—जहाँ जीन थेरेपी को अपनाया जा रहा है, वहीं जीएम (GM) फसलों का विरोध किया जा रहा है।

जैव प्रौद्योगिकी की क्षमता

- **स्वास्थ्य देखभाल क्रांति:** जीन थेरेपी, CAR-T सेल थेरेपी और बायोलॉजिक्स के माध्यम से आनुवंशिक और पुराने रोगों के उपचार को सक्षम बनाती है, जिससे जीवन प्रत्याशा में सुधार होता है (जैसे सिकल-सेल रोग, कैंसर इम्यूनोथेरेपी)।
- **फार्मास्युटिकल नवाचार:** 'रिकॉम्बिनेंट डीएनए' (पुनर्संयोजक डीएनए) तकनीक का उपयोग करके इंसुलिन, टीकों और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जैसी दवाओं का उत्पादन लागत प्रभावी स्वास्थ्य समाधान सुनिश्चित करता है।
- **कृषि और खाद्य सुरक्षा:** जीएम फसलें कीट प्रतिरोध, उच्च उपज और जलवायु लचीलापन प्रदान करती हैं, जिससे भूख और जलवायु तनाव से निपटने में मदद मिलती है (जैसे बीटी कपास, सूखा-प्रतिरोधी फसलें)।
- **औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी :** सिंथेटिक बायोलॉजी बायोफ्यूल, रसायनों और एंजाइमों के उत्पादन को सक्षम बनाती है, जिससे जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होती है और हरित अर्थव्यवस्था को समर्थन मिलता है।
- **पर्यावरणीय अनुप्रयोग:** बायोरैमेडिएशन (जैव-उपचार), अपशिष्ट प्रबंधन और कार्बन कैप्चर के लिए सूक्ष्मजीवों का उपयोग, प्रदूषण और स्थिरता की चुनौतियों का समाधान करता है।
- **उभरते क्षेत्र:** CRISPR जीन एडिटिंग, सिंथेटिक बायोलॉजी और बायो-मैन्युफैक्चरिंग जैसे उन्नत उपकरण व्यक्तिगत चिकित्सा और सामग्री विज्ञान में संभावनाओं का विस्तार कर रहे हैं।

जैव प्रौद्योगिकी की विभेदक स्वीकार्यता

- **स्वास्थ्य देखभाल (उच्च स्वीकार्यता):** प्रत्यक्ष जीवन रक्षक लाभों और रोगी की मांग के कारण व्यापक रूप से स्वीकार्य, दैहिक उपचारों (somatic therapies) के लिए न्यूनतम नैतिक प्रतिरोध।
- **औद्योगिक बायोटेक (मध्यम स्वीकार्यता):** लाभ अप्रत्यक्ष लेकिन सिद्ध होने (जैसे टीके, इंसुलिन) के कारण स्वीकृत, हालांकि लागत और पहुंच के बारे में चिंताएं बनी हुई हैं।
- **कृषि (निम्न स्वीकार्यता):** वैज्ञानिक पुष्टि के बावजूद, कथित पर्यावरणीय जोखिमों और कॉर्पोरेट प्रभुत्व के कारण जीएम फसलों को सामाजिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है।
- **जर्मलाइन एडिटिंग (अत्यधिक प्रतिबंधित):** नैतिक चिंताओं और पीढ़ियों तक चलने वाले अपरिवर्तनीय आनुवंशिक परिवर्तनों के कारण विश्व स्तर पर कड़ा विरोध।

विचलन के कारण

- **कथित जोखिम बनाम लाभ:** तत्काल व्यक्तिगत लाभ (स्वास्थ्य देखभाल) वाली तकनीकों को स्वीकार किया जाता है, जबकि व्यापक या दीर्घकालिक जोखिम (कृषि) वाली तकनीकों को प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है।
- **नैतिक चिंताएं:** जर्मलाइन एडिटिंग "ईश्वर के साथ खेलना" (playing God), आनुवंशिक असमानता और अंतर-पीढ़ीगत प्रभाव जैसे मुद्दे उठाती है।
- **पर्यावरणीय चिंताएं:** जैव विविधता की हानि, मोनोकल्चर और पारिस्थितिक असंतुलन का डर जीएम फसलों के विरोध को बढ़ावा देता है।
- **बाजार और कॉर्पोरेट नियंत्रण:** पेटेंट, बीज एकाधिकार और किसानों की निर्भरता पर चिंताएं कृषि में प्रतिरोध को प्रभावित करती हैं।
- **सूचना और जागरूकता की कमी:** वैज्ञानिक समझ की कमी से भ्रांतियां और एहतियाती दृष्टिकोण पैदा होते हैं।

- **ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारक:** सामाजिक मूल्य और पिछले अनुभव विभिन्न क्षेत्रों में स्वीकार्यता को अलग-अलग रूप देते हैं।

नियामक चुनौतियाँ

अति-विनियमन के मुद्दे

- **नवाचार में कमी:** सख्त अनुमोदन सफलताओं में देरी करते हैं
  - **उदाहरण के लिए** वैज्ञानिक मंजूरी के बावजूद भारत में बीटी बैंगन जैसी जीएम फसलों के अनुमोदन में देरी)।
- **आर्थिक नुकसान:** विदेशी प्रौद्योगिकियों पर निर्भरता की ओर जाता है
  - **उदाहरण के लिए,** भारत घरेलू जीएम फसल की खेती को प्रतिबंधित करते हुए जीएम सोया-आधारित पशु चारा आयात करता है)।
- **नवाचार को हतोत्साहित करना:** अति-विनियमन नवाचार पर नकल को प्रोत्साहित करता है
  - **उदाहरण के लिए**, सफलता काफी हद तक बीटी कपास तक ही सीमित है, अन्य जीएम फसलों में धीमी प्रगति के साथ)।
- **नीति जटिलता:** बार-बार नियामक परिवर्तन निवेश को हतोत्साहित करते हैं
  - **उदाहरण के लिए** जीन-एडिटिंग (एसडीएन-1/एसडीएन-2) अनुमोदनों के आसपास अस्पष्टता जो बायोटेक स्टार्टअप को प्रभावित करती है)
- **वैश्विक अंतराल:** उभरते क्षेत्रों में भारत के पिछड़ने का खतरा
  - **उदाहरण के लिए** चीन और अमेरिका की तुलना में CRISPR-आधारित फसलों को धीमी गति से अपनाना)।

नियमन की कमी के मुद्दे

- **सुरक्षा जोखिम:** कमजोर निरीक्षण हानिकारक परिणामों की अनुमति दे सकता है
  - **उदाहरण के लिए**, कुछ राज्यों में अवैध एचटी बीटी कपास की खेती की रिपोर्टें
- **नैतिक चिंताएं:** सुरक्षा उपायों के बिना प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग
  - **उदाहरण के लिए**, निजी प्रयोगशालाओं में अनियमित मानव जीन-संपादन अनुसंधान के बारे में चिंताएं)
- **सार्वजनिक विश्वास की कमी:** असफलताओं से विज्ञान में विश्वास कम हो जाता है
  - **उदाहरण के लिए** जीएम सरसों के परीक्षणों के आसपास विरोध और विवाद)।
- **बाजार अस्थिरता:** स्पष्ट नियमों की कमी दीर्घकालिक निवेश को हतोत्साहित करती है
  - **उदाहरण के लिए** बायोटेक फर्म नई फसलों के लिए अस्पष्ट अनुमोदन मार्गों के कारण झिझक रही हैं।
- **पर्यावरणीय जोखिम:** संभावित अनपेक्षित पारिस्थितिक प्रभाव
  - **उदाहरण के लिए**, जीएम फसल विस्तार से जुड़े मोनोकल्चर और जैव विविधता के नुकसान पर चिंता)।

भारत के लिए निहितार्थ

- **बायोटेक अवसर हब:** भारत में विशाल जैव विविधता, कुशल कार्यबल और बढ़ते बायोटेक क्षेत्र के साथ मजबूत क्षमता है, लेकिन इसे पैमाने और नवाचार की आवश्यकता है।
- **कृषि बनाम स्वास्थ्य देखभाल विभाजन:** जहाँ भारत स्वास्थ्य देखभाल में बायोटेक को अपनाता है, वहीं कृषि में सतर्क रहता है (जैसे जीएम फसल प्रतिबंध), जिससे उत्पादकता लाभ सीमित हो जाता है।
- **ग्लोबल साउथ नेतृत्व:** भारत नैतिक सुरक्षा उपायों के साथ नवाचार को जोड़ते हुए एक संतुलित मॉडल के रूप में स्वयं को स्थापित कर सकता है।
- **आर्थिक क्षमता:** जैव प्रौद्योगिकी विशेष रूप से फार्मास्युटिकल और बायो-मैन्युफैक्चरिंग में रोजगार, निर्यात और औद्योगिक विकास को गति दे सकती है।

आगे की राह

- **संतुलित नियामक ढांचा:** जोखिम-आधारित, सक्षम नियम विकसित करना जो सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए नवाचार को बढ़ावा दें।
- **सार्वजनिक जागरूकता और जुड़ाव:** भ्रांतियों को दूर करने और जैव प्रौद्योगिकी में विश्वास बनाने के लिए विज्ञान संचार में सुधार करना।
- **R&D निवेश को बढ़ावा:** जीनोमिक्स, सिंथेटिक बायोलॉजी और कृषि बायोटेक में वित्त पोषण को मजबूत करना।
- **निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना:** बायोटेक क्षेत्रों में स्टार्टअप, उद्योग-अकादमिक सहयोग और FDI को बढ़ावा देना।
- **क्षेत्र-विशिष्ट नीतियां:** जोखिम प्रोफाइल के आधार पर स्वास्थ्य देखभाल, कृषि और औद्योगिक बायोटेक के लिए नियमन को अलग करना।
- **वैश्विक सहयोग:** अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान साझेदारी और मानक-निर्धारण ढांचे में शामिल होना।
- **नैतिक शासन:** जीन एडिटिंग और जर्मलाइन संशोधन जैसे संवेदनशील क्षेत्रों के लिए मजबूत निगरानी सुनिश्चित करना।

जैव प्रौद्योगिकी परिवर्तनकारी क्षमता रखती है, लेकिन इसका भविष्य संतुलित नियमन, जागरूकता और नवाचार-संचालित नीतियों के माध्यम से असमान सामाजिक स्वीकार्यता के विरोधाभास को सुलझाने पर निर्भर करता है, विशेष रूप से भारत जैसे देशों के लिए जो वैश्विक नेतृत्व का लक्ष्य रखते हैं।

वामपंथी उग्रवाद (LWE) के पश्चात का रूपांतरण

संदर्भ

- वर्षों के सुरक्षा अभियानों के बाद वामपंथी उग्रवाद में भारी गिरावट के साथ, अब चुनौती सुरक्षा लाभों को दीर्घकालिक शांति में बदलने की है।

वामपंथी उग्रवाद में गिरावट

- **हिंसा में कमी:** निरंतर अभियानों के कारण LWE घटनाओं और मौतों में तेजी से गिरावट आई है।
- **भौगोलिक संकुचन:** 'रेड कॉरिडोर' कई राज्यों से सिमट कर सीमित क्षेत्रों तक रह गया है
    - जैसे अब मुख्य रूप से बस्तर (छत्तीसगढ़), झारखंड और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों तक सीमित।
- **स्थानीय भर्ती में गिरावट:** स्थानीय समर्थन काफी कमजोर हो गया है
    - जैसे केवल कुछ स्थानीय रंगरूट बचे हैं, जबकि जमीनी समर्थन आधार सिकुड़ने के साथ अधिकांश में गिरावट आ रही है।
- **बेहतर राज्य उपस्थिति:** शासन के बुनियादी ढांचे के विस्तार ने विद्रोहियों के स्थान को कम कर दिया है
    - जैसे सुकमा-बीजापुर बेल्ट में सड़कें, टेलीकॉम टावर और बैंकिंग पहुंच।

सरकार द्वारा अपनाई गई रणनीति

- **सुरक्षा-केंद्रित संचालन:** केंद्रीय और राज्य बलों (जैसे सीआरपीएफ, कोबरा बलों) द्वारा समन्वित संचालन क्षेत्र के प्रभुत्व, खुफिया-आधारित हमलों और नेतृत्व लक्ष्यीकरण पर केंद्रित था।
- **समाधान (SAMADHAN) सिद्धांत:** खुफिया जानकारी, तकनीक और समन्वय पर केंद्रित बहु-आयामी रणनीति
    - **उदाहरण के लिए,** ड्रोन का उपयोग, कार्रवाई योग्य खुफिया और KPI-आधारित निगरानी।
- **विकास पहल:** एकीकृत कार्य योजना और आकांक्षी जिलों जैसी योजनाओं का कार्यान्वयन।
    - **उदाहरण के लिए,** मलकानगिरी, ओडिशा में बुनियादी ढांचे और कल्याण को बढ़ावा
- **बुनियादी ढांचे का विस्तार:** राज्य की पहुंच में सुधार के लिए सड़कों, दूरसंचार टावरों, स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण
    - **उदाहरण के लिए,** सुकमा और गढ़चिरौली में सड़क संपर्क परियोजनाएं, दूरदराज के क्षेत्रों को खोलना।
- **युवाओं की भागीदारी और क्षमता निर्माण:** खेल और शिक्षा का उपयोग एकीकरण के उपकरण के रूप में किया जाता है
    - **उदाहरण के लिए,** सिमडेगा हॉकी अकादमी सलीमा टेटे और फुटबॉलर ममता हांसदा का निर्माण कर रही है।
- **केंद्र-राज्य समन्वय:** राजनीतिक लाइनों में संयुक्त योजना ने प्रभावशीलता सुनिश्चित की।
    - **उदाहरण के लिए,** छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा में समन्वित संचालन।

सुरक्षा-केंद्रित दृष्टिकोण की सीमाएँ

- **अस्थायी दमन:** सुरक्षा अभियान हिंसा को कम करते हैं लेकिन मूल कारणों को संबोधित नहीं करते हैं।
    - **उदाहरण के लिए,** जंगल महल में पहले की बढ़त में शासन पिछड़ने पर फिर से गिरावट देखी गई।
- **वैधता की कमी:** बल पर अत्यधिक निर्भरता राज्य और स्थानीय समुदायों, विशेष रूप से आदिवासी आबादी के बीच विश्वास को कमजोर कर सकती है।
    - **उदाहरण के लिए,** बस्तर में आदिवासी समुदाय ऐतिहासिक रूप से माओवादियों और राज्य बलों के बीच फंसे हुए हैं।
- **शासन अंतराल:** विद्रोहियों से मुक्त किए गए क्षेत्रों में अक्सर अभी भी निरंतर प्रशासनिक उपस्थिति और सेवा वितरण की कमी होती है।
    - **उदाहरण के लिए**, अबूझमाड़ के दूरदराज के गांवों को अभी भी सीमित स्वास्थ्य देखभाल और स्कूली शिक्षा का सामना करना पड़ता है।

- **पुनरावृत्ति का जोखिम:** सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन के बिना, उपेक्षित क्षेत्रों में विद्रोह के फिर से उभरने का जोखिम है।
    - **उदाहरण के लिए,** पिछले चक्रों में झारखंड के कुछ हिस्सों में देखे गए पुनरुत्थान चरण।
- **मानवाधिकार संबंधी चिंताएँ:** सुरक्षा अभियान कभी-कभी नागरिक स्वतंत्रता और ज्यादतियों के बारे में चिंता पैदा करते हैं, जिससे राज्य की वैधता प्रभावित होती है।
    - **उदाहरण के लिए,** वामपंथी उग्रवाद वाले क्षेत्रों में मुठभेड़ों और गिरफ्तारियों पर बहस।

वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में संरचनात्मक चुनौतियाँ

- **ऐतिहासिक हाशियाकरण:** आदिवासी समुदायों को दीर्घकालिक उपेक्षा का सामना करना पड़ता है (उदाहरण के लिए बस्तर, सिमडेगा में कम मानव विकास संकेतक)।
- **संसाधन अभिशाप:** खनिज समृद्ध क्षेत्रों में स्थानीय लाभ के बिना निष्कर्षण होता है, जिससे असंतोष पैदा होता है। (जैसे झारखंड और छत्तीसगढ़ के खनन बेल्ट)।
- **कमजोर शासन अवसंरचना:** सेवाओं तक सीमित पहुंच (उदाहरण के लिए आंतरिक वन क्षेत्रों में स्कूलों, बैंकों और पीएचसी की कमी)।
- **आजीविका असुरक्षा:** नौकरियों की कमी भेद्यता की ओर ले जाती है (उदाहरण के लिए मूल्यवर्धन के बिना लघु वन उपज पर निर्भरता)।
- **विश्वास की कमी:** राज्य और विद्रोहियों के बीच फंसे समुदाय (उदाहरण के लिए माओवादी प्रतिशोध और पुलिस कार्रवाई दोनों का डर)।
- **न्याय की कमी:** अधिकारों और कानूनी प्रक्रियाओं में देरी (उदाहरण के लिए लंबित वन अधिकार अधिनियम के दावे, विचाराधीन आदिवासी कैदी)।

वामपंथी उग्रवाद के बाद परिवर्तन के लिए रूपरेखा

- **समुदाय-केंद्रित अर्थव्यवस्था:** सामुदायिक स्वामित्व और लाभ सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय मूल्य अर्थव्यवस्थाओं की ओर बदलाव।
    - **उदाहरण के लिए**, वन तेंदू पत्ते, लाख प्रसंस्करण जैसी मूल्य श्रृंखलाओं का उत्पादन करते हैं; बस्तर में इको-टूरिज्म।
- **निरंतर शासन उपस्थिति:** निरंतर सेवा वितरण सुनिश्चित करें (जैसे सड़कें, स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र और दूरदराज के ब्लॉकों में बैंकिंग)।
- **अधिकार-आधारित दृष्टिकोण:** नागरिकों को हितधारक मानते हुए भूमि और वन अधिकारों को मजबूत करना, न कि लाभार्थियों के रूप में (उदाहरण के लिए वन अधिकार अधिनियम और जनजातीय उप योजना वित्त पोषण का कार्यान्वयन)।
- **एकीकृत नीति ढांचा:** शासन परिवर्तन के लिए जवाबदेही, नवाचार, साक्ष्य, समानता, सहानुभूति और दक्षता (एआईईई) पर ध्यान केंद्रित करना।
- **योजनाओं का अभिसरण:** अंतिम छोर तक वितरण के लिए आकांक्षी जिलों, पीएम-जनमन, जनजातीय उप योजना जैसे कार्यक्रमों को संरेखित करना।
- **युवा और आकांक्षाएं:** युवा आकांक्षाओं को चैनल करने के लिए शिक्षा, खेल, कौशल और उद्यमिता को बढ़ावा देना (उदाहरण के लिए सिमडेगा हॉकी जैसी खेल सफलता, कौशल और उद्यमिता के लिए विस्तार)।
- **न्याय और विश्वास निर्माण:** मानवीय पुलिसिंग और शिकायत निवारण सुनिश्चित करें (उदाहरण के लिए आदिवासी समुदायों के लिए तेजी से मामले का निपटान और कानूनी सहायता)।

वामपंथी उग्रवाद को कम करने में भारत की सफलता एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का प्रतीक है, लेकिन दीर्घकालिक शांति सुरक्षा प्रभुत्व से समावेशी शासन, अधिकार-आधारित विकास और विश्वास-निर्माण की ओर बढ़ने पर निर्भर करती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि ये क्षेत्र संघर्ष क्षेत्रों के बजाय विकास केंद्र बनें।

भारत में तंबाकू और गरीबी

संदर्भ

ICMR-NICPR और TISS के शोधकर्ताओं द्वारा **BMJ ग्लोबल हेल्थ** में प्रकाशित एक अध्ययन भारत में तंबाकू के उपयोग के आर्थिक नुकसान पर प्रकाश डालता है। यह अनुमान लगाता है कि यदि तंबाकू का सेवन समाप्त कर दिया जाए, तो लगभग दस में से एक परिवार उच्च आय श्रेणी में जा सकता है, जो एक महत्वपूर्ण वित्तीय बोझ के रूप में इसकी भूमिका को रेखांकित करता है।

मुख्य डेटा

- लगभग 20.49 मिलियन परिवारों (10.6%) में तंबाकू छोड़ने से आर्थिक स्थिति में सुधार की संभावना है।
- सबसे गरीब वर्गों में, मासिक आय का लगभग 6.4% तंबाकू उत्पादों पर खर्च होता है।
- लगभग 5.62 मिलियन सबसे गरीब परिवार (12.4%) तंबाकू छोड़ने से पूरी तरह गरीबी से बाहर निकल सकते हैं।
- ग्रामीण क्षेत्रों में इसका प्रभाव अधिक स्पष्ट है, जहां लगभग 17 मिलियन परिवारों में आर्थिक उन्नति की संभावना है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह संख्या 3.5 मिलियन है।
- कुल मिलाकर, ग्रामीण भारत में आर्थिक सुधार की संभावना शहरी क्षेत्रों की तुलना में लगभग 60% अधिक है।
- भारत में अनुमानित 267 मिलियन तंबाकू उपयोगकर्ता हैं।
- तंबाकू से संबंधित बीमारियों के कारण प्रति वर्ष लगभग 1.35 मिलियन मौतें होती हैं।

अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष

- **आर्थिक गतिशीलता:** शोध से पता चलता है कि निम्न और मध्यम आय वाले परिवारों में तंबाकू की खरीद डिस्पोजेबल आय का एक बड़ा हिस्सा ले लेती है। इस खर्च को समाप्त करने से कई परिवारों को आर्थिक पदानुक्रम में कम से कम एक स्तर ऊपर चढ़ने में मदद मिल सकती है।
- **क्राउडिंग-आउट प्रभाव (Crowding-Out Effect):** तंबाकू पर खर्च अक्सर आवश्यक खर्चों को प्रतिस्थापित कर देता है। समान आय वाले गैर-उपयोगकर्ताओं की तुलना में, तंबाकू का सेवन करने वाले परिवार आमतौर पर दूध, सब्जियों और शिक्षा जैसी वस्तुओं पर कम पैसा खर्च करते हैं।
- **गरीबी का जाल:** बार-बार तंबाकू का उपयोग संबंधित बीमारियों से बढ़ते चिकित्सा खर्चों से निकटता से जुड़ा हुआ है, जिससे एक ऐसा चक्र बनता है जहाँ स्वास्थ्य व्यय और ऋण एक-दूसरे को पुष्ट करते हैं।

तंबाकू का बहुआयामी बोझ

- **स्वास्थ्य देखभाल लागत:** खरीद मूल्य से परे, तंबाकू कैंसर, हृदय रोग और श्वसन संबंधी विकारों जैसी स्थितियों के उपचार के माध्यम से पर्याप्त वित्तीय तनाव की ओर ले जाता है, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर गंभीर आउट-ऑफ-पॉकेट खर्च होते हैं।
- **उत्पादकता में कमी:** तंबाकू के कारण होने वाली बीमारी और प्रारंभिक मृत्यु घरेलू आय को कम करती है, खासकर जब प्राथमिक कमाने वाला प्रभावित होता है, जिससे परिवार वित्तीय संकट में गहरे धकेल जाते हैं।
- **मानव पूंजी पर प्रभाव:** जब धन को शिक्षा और पोषण से तंबाकू की ओर मोड़ा जाता है, तो यह अगली पीढ़ी की दीर्घकालिक कमाई क्षमता को कमजोर करता है।

तंबाकू नियंत्रण में चुनौतियां

- **सामर्थ्य और पहुंच:** करों के बावजूद, बीड़ी और धुआं रहित तंबाकू जैसे उत्पाद सस्ते और व्यापक रूप से उपलब्ध हैं, विशेष रूप से निम्न-आय समूहों के लिए।
- **सामाजिक स्वीकार्यता:** कई ग्रामीण और वंचित समुदायों में, तंबाकू का उपयोग सामाजिक रूप से सामान्य माना जाता है, जिससे व्यवहार में बदलाव लाना मुश्किल हो जाता है।
- **उद्योग का प्रभाव:** यह क्षेत्र रोजगार और सरकारी राजस्व में महत्वपूर्ण योगदान देता है, जो सख्त नियामक प्रयासों को जटिल बना सकता है।

आगे की राह

- **एक उपकरण के रूप में कराधान:** वैश्विक स्वास्थ्य सिफारिशों के अनुरूप सभी तंबाकू उत्पादों पर कर बढ़ाना सामर्थ्य को कम कर सकता है, विशेष रूप से युवाओं और निम्न-आय वाले उपयोगकर्ताओं के बीच।
- **एकीकृत स्वास्थ्य कार्यक्रम:** प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और मातृ-शिशु स्वास्थ्य पहलों में नशामुक्ति सेवाओं को शामिल करना कमजोर आबादी के बीच पहुंच का विस्तार कर सकता है।
- **जागरूकता अभियान:** संदेशों में छोड़ने के वित्तीय लाभों पर जोर दिया जाना चाहिए, तंबाकू नियंत्रण को न केवल बेहतर स्वास्थ्य बल्कि आर्थिक सशक्तिकरण के मार्ग के रूप में पेश किया जाना चाहिए।
- **विकल्पों के लिए समर्थन:** सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों के माध्यम से निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी और परामर्श तक पहुंच में सुधार करना छोड़ने को अधिक साध्य बना सकता है।

महिलाओं के लिए आरक्षण ही क्यों पर्याप्त नहीं है?

संदर्भ

विधायिकाओं में महिलाओं के आरक्षण को अक्सर राजनीति में लैंगिक असंतुलन के लिए एक ऐतिहासिक सुधारात्मक कदम के रूप में देखा जाता है। उदाहरण के लिए, भारत में उच्च महिला मतदाता भागीदारी के साथ सबसे बड़े लोकतांत्रिक निर्वाचक समूहों में से एक है, फिर भी लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 14-15% (2024) के आसपास बना हुआ है।

मूल तर्क

आरक्षण एक तरह से किसी महत्वपूर्ण मुकाबले में प्रवेश का पास है। यह महिलाओं को स्टेडियम के अंदर तो ले जाता है, लेकिन यह गारंटी नहीं देता कि उन्हें मैच खेलने, निर्णय लेने या स्कोरबोर्ड बदलने का मौका मिलेगा। वास्तविक सशक्तिकरण के लिए क्षमता, स्वायत्तता और कोटा से परे संरचनात्मक परिवर्तन की आवश्यकता होती है।

महिला आरक्षण की प्रमुख सीमाएँ

- **पितृसत्तात्मक नियंत्रण का बने रहना:** कई मामलों में, निर्वाचित महिला प्रतिनिधि पुरुष रिश्तेदारों या स्थानीय अभिजात वर्ग की छाया में कार्य करती हैं। इस घटना को अक्सर "छद्म प्रतिनिधित्व" (Proxy Representation) कहा जाता है, जो स्थानीय शासन में व्यापक रूप से प्रलेखित है।
    - **उदाहरण:** पंचायती राज मंत्रालय के एक अध्ययन में पाया गया कि कई राज्यों में, महिला सरपंचों को अनौपचारिक रूप से "सरपंच पति" (वास्तविक निर्णय लेने वाले के रूप में कार्य करने वाले पति) द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया था।
- **राजनीतिक समर्थन की कमी:** आरक्षण स्वचालित रूप से महिलाओं को राजनीति के लिए आवश्यक कौशल से लैस नहीं करता है।
    - **उदाहरण:** UNDP की रिपोर्टों के अनुसार, महिला उम्मीदवारों को अक्सर निम्न क्षेत्रों में कमी का सामना करना पड़ता है:
        - विधायी ज्ञान
        - सार्वजनिक भाषण और बातचीत कौशल
        - अभियान प्रबंधन
- **संरचनात्मक बाधाएं बरकरार:** आरक्षण के बावजूद, राजनीतिक पारिस्थितिकी तंत्र स्वयं विषम बना हुआ है क्योंकि राजनीतिक दल 'गेटकीपर' के रूप में कार्य करते हैं। प्रमुख चुनावों में महिलाओं को कुल पार्टी टिकटों का केवल 8-10% ही प्राप्त होता है।
    - **उदाहरण:** दशकों की वकालत के बावजूद, कोई भी प्रमुख राष्ट्रीय दल स्वेच्छा से एक-तिहाई से अधिक महिला उम्मीदवारों को लगातार मैदान में नहीं उतारता है।
- **प्रतीकात्मकता (Tokenism) का जोखिम:** आरक्षण कभी-कभी वास्तविक परिवर्तन के बजाय प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व पैदा कर सकता है।
    - **उदाहरण:** अंतर-संसदीय संघ (Inter-Parliamentary Union) की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि उच्च प्रतिनिधित्व हमेशा लैंगिक-संवेदनशील नीति निर्माण में परिवर्तित नहीं होता है।
- **प्रतिच्छेदन (Intersectional) असमानताओं की अनदेखी:** महिलाएं एक समान श्रेणी नहीं हैं। सामाजिक पदानुक्रम सत्ता तक पहुंच को आकार देते हैं।

- **उदाहरण:** ऑक्सफैम (Oxfam) के आंकड़े बताते हैं कि हाशिए पर रहने वाली महिलाओं (दलित, आदिवासी, ग्रामीण) को जटिल बाधाओं का सामना करना पड़ता है।

- **राजनीतिक दल की गतिशीलता:** दल तय करते हैं कि कौन चुनाव लड़ेगा और कौन जीतेगा। आंतरिक सुधार के बिना, आरक्षण एक सतही सुधार बनकर रह जाता है।
- **अदृश्य पिंजरा:** गहरी जड़ें जमा चुकी लैंगिक मान्यताएं महिलाओं को राजनीति में प्रवेश करने से हतोत्साहित करती हैं।
    - **उदाहरण:** प्यू रिसर्च सेंटर (Pew Research Center) के सर्वेक्षणों के अनुसार, भारतीयों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अभी भी मानता है कि पुरुष बेहतर राजनीतिक नेता बनते हैं।

आगे की राह

- **क्षमता निर्माण:** संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रम भागीदारी को नेतृत्व में बदल सकते हैं।
    - नेतृत्व अकादमियां, शासन कार्यशालाएं और मेंटरशिप नेटवर्क कौशल अंतराल को पाट सकते हैं।
- **राजनीतिक दल सुधार:** आंतरिक पार्टी कोटा और पारदर्शी उम्मीदवार चयन को अनिवार्य करना समावेश को गहरा कर सकता है।
- **स्वायत्तता सुनिश्चित करना:** अनौपचारिक सत्ता कब्जा को रोकने के लिए कानूनी और संस्थागत सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है।
- **सामाजिक मानदंडों को संबोधित करना:** दीर्घकालिक परिवर्तन के लिए शिक्षा और मीडिया के माध्यम से मानसिकता बदलने की आवश्यकता है।
- **इंटरसेक्शनल (प्रतिच्छेदन) दृष्टिकोण:** आरक्षण में जाति, वर्ग और क्षेत्रीय असमानताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए।